अनुलग्नक

अनुलग्नक I

(पैराग्राफ 2.2 में संदर्भित)

क. मार्च 2022 तक अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ का विवरण

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	स्वीकृत कार्य शक्ति	वर्तमान कार्य शक्ति	कमी	प्रतिशतता में कमी
1.	आचार्य श्री भिक्षु	117	107	10	8.54
2.	अरुणा आसफ अली	101	86	15	14.85
3.	अत्तार सेन जैन आई एंड जनरल हॉस्पिटल	11	11	00	00 (दिसंबर 2023)
4.	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल	137	119	18	13.13
5.	भगवान महावीर	220	146	74	33.63
6.	बीआर सुर होम्योपैथिक	13	11	02	15.38
7.	केंद्रीय जेल	71	70	01	1.40
8.	दीन दयाल उपाध्याय	693	528	165	23.80 (दिसंबर 2023)
9.	दीप चंद बंधु	147	119	28	19.09
10.	डॉ हेडगेवार आरोग्य संस्थान	163	128	35	21.47
11.	डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर	453	418	35	7.07 (दिसंबर 2023)
12.	डॉ एनसी जोशी मेमोरियल	56	48	08	14.28
13.	जीबी पंत	1154	760	394	34.14
14.	गुरु नानक आई सेंटर	119	102	17	14.28
15.	गुरु तेग बहादुर	1377	983	394	28.61
16.	गुरु गोबिंद सिंह	125	113	12	9.6 (दिसंबर 2023)
17.	जग प्रवेश चंदर	144	111	33	22.92 (दिसंबर 2023)
18.	लोक नायक हॉस्पिटल	1644	1315	329	20.01
19.	लाल बहादुर शास्त्री	166	119	47	28.31
20.	महर्षि वाल्मीकि	108	108	0	0 (दिसंबर 2023)
21.	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल	28	26	02	7.14
22.	पं. मदन मोहन मालवीय	110	98	12	10.90
23.	राव तुला राम मैमोरियल	97	94	03	3.09
24.	संजय गांधी मैमोरियल	263	229	34	12.92
25.	सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र	134	121	13	9.70
26.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	91	87	04	4.39
27.	श्री दादादेव मैत्री एवम शिशु चिकित्सालय	90	89	01	1.11
28.	ए एंड यू तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल	28	20	08	28.57

ख. मार्च 2022 तक पैरा मेडिकल स्टाफ का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत कार्य शक्ति	वर्तमान कार्य शक्ति	कमी	प्रतिशतता में कमी
1.	व्यावसायिक/फिजियोथेरेपिस्ट	102	70	32	31
2.	वाक् चिकित्सक	12	06	6	50
3.	रिफरैकशनिष्ट	34	19	15	44
4.	ऑडियोमेट्रिक सहायक	23	13	10	43
5.	आहार विशेषज्ञ	58	30	28	48
6.	डार्क रूम आर्टिस्ट	63	32	31	49
7.	लॉंड्री कर्मचारी	05	02	03	60
8.	पोस्टमार्टम सहायक	37	04	33	89
9.	पुस्तकालय कर्मचारी	26	00	26	100
10.	पर्फ्युज़निस्ट	03	00	03	100
11.	चेयर साईड सहायक	10	02	08	80
12.	तकनीकी सहायक नेत्र विज्ञान	15	04	11	73
13.	हड्डी रोग विशेषज्ञ	04	01	03	75
14.	एलए/एलटी पीसीआर हेपेटाइटिस	02	00	02	100
15.	मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता	48	06	42	87
16.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1422	820	602	42
17.	ओटी तकनीशियन	832	562	270	32
18.	रेडियोग्राफ़र	296	159	137	46
19.	मेडिकल रिकार्ड तकनीशियन	28	3	25	89

ग. मार्च 2022 तक अस्पतालों/इकाइयों में गैर-शिक्षण विशेषज्ञों का विवरण

क्र.सं.	अस्पताल/इकाइयों का नाम	स्वीकृत कार्य शक्ति	वर्तमान कार्य शक्ति	कमी	प्रतिशतता में कमी
1.	आचार्य श्री भिक्षु (एबीजीएच)	21	14	07	33.33
2	दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयूएच)	69	47	22	31.88 (23 दिसम्बर)
3	दीप चंद बंधु (डीसीबीएच)	29	16	13	44.82
4	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर (डीबीएसएएच)	71	44	27	38.02 (दिसंबर 2023)
5	गुरु तेग बहादुर (जीटीबीएच)	21	22	लागू नही	लागू नही
6	लोक नायक अस्पताल (एलएनएच)	69	41	28	40.57
7	संजय गांधी स्मारक (एसजीएमएच)	35	27	08	22.85
8	सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र (एसआरएचसीएच)	23	10	13	56.52
9	अरुणा आसफ अली (एएएजीएच)	26	21	05	19.23
10	अतर सैन जैन आई एंड जनरल हॉस्पिटल (एएसजेईएच)	04	02	01	50.00 (दिसंबर 2023)
11	बाबू जगजीवन राम मैमोरियल (बीजेआरएमएच)	25	14	11	44
12	भगवान महावीर (बीएमएच)	24	22	02	8.33
13	सेंट्रल जेल (सीजेएच)	13	07	06	46.15
14	डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान (डीएचएएस)	25	21	04	16
15	गोविंद बलभ पंत अस्पताल (जीबीपीएच)	01	00	01	100

क्र.सं.	अस्पताल/इकाइयों का नाम	स्वीकृत कार्य शक्ति	वर्तमान कार्य शक्ति	कमी	प्रतिशतता में कमी
16	गुरु गोबिंद सिंह (जीजीएसजीएच)	24	17	07	29.16
17	गुरु नानक आई सेंटर (जीएनईसी)	03	02	01	33.33 (दिसंबर 2023)
18	जग परवेश चंदर (जेपीसीएच)	25	19	06	24 (दिसंबर 2023)
19	लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएसएच)	25	21	04	16
20	महर्षि वाल्मिकी (एमवीएच)	18	11	7	38.88 (दिसंबर 2023)
21	डॉ. एनसी जोशी मेमोरियल (एनसीजेएमएच)	14	09	05	35.71
22	पं. मदन मोहन मालवीय (पीएमएमएमएच)	23	18	05	21.73
23	राव तुला राम मेम. (आरटीआरएमएच)	20	13	07	35
24	श्री दादादेव मैत्री एवम शिशु अस्पताल (एसडीडीएमएएससी)	14	10	04	28.57
25	एसएचएस (डीएचएस)	05	01	04	80
26	सरदार वल्लभ भाई पटेल (एसवीबीपीएच)	21	14	07	33.33
27	सीडीएमओ (एनडी)	03	00	03	100

अनुलग्नक II
(पैराग्राफ 2.10 में संदर्भित)
रेडियोलॉजिकल सेवाओं का विवरण (एक्स-रे)

अस्पताल का नाम	एक्स रे मशीन की संख्या	तकनीशियन	एसआर/विशेषज्ञ
बीआर सूर होम्योपैथिक	0	2	0
ए एंड यू टिब्बिया	0	1	0
आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल	1	11	2
राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल	1	5	0
राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	7	0	6
गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल	2	9	0
एसआरएचसी हॉस्पिटल	2	9	0
संजय गांधी	5	14	1
जीटीबी अस्पताल	5	40	20 (दिसम्बर 2023)
लोक नायक अस्पताल	10	50	30
दीप चंद बंधु अस्पताल	5	10	0
चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान	1	0	0

अनुलग्नक III

(पैराग्राफ 4.2.6.2 में संदर्भित)

अस्पतालों में उपभोग की जाने वाली निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की सूची

क्र.सं.	टेबलेट का नाम	स्टोर में प्राप्त होने की तिथि	बैच संख्या	प्राप्त मात्रा	समाप्ति की तिथि	मात्रा प्रतिस्थापित	निम्न गुणवत्ता की उपभोग की गई मात्रा	औषधि विभाग द्वारा नमूना प्राप्त करने की तिथि	अस्पताल द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि
	एलएनएच								
1.	डाईक्लोफेनाक सोडियम 50 मि.ग्रा	22.04.20	डीआईसी-1920	900000	02/23	554020	345980	27.10.20	24.02.21
2.	आईबुप्रोफेन आईपी 400 मि.ग्रा.	25.04.16	एलटी 5092	100000	02/18	91980	8020	26.04.16	08.08.16
3.	डाईक्लोफेनाक सोडियम 50 मि.ग्रा	22.04.20	डीआईसी-1920	900000	02/23	554020	345980	27.10.20	24.02.21
4.	आईबुप्रोफेन आईपी 400 मि.ग्रा.	25.04.16	एलटी 5092	100000	02/18	91980	8020	26.04.16	08.08.16
5.	इंज ग्लाइकोपाइरोलेट	2018	डीएल 350	9000	-	-	9000	-	24.05.18
6.	इंज. बुपीवाकेन	2018	5के50431	1060	-	-	1060	-	24.05.18
7.	इंज. लेबेटालोल	2018	एलबी1एच5बी2	225	-	-	225		24.05.18
8.	इंज. जेंटामाइसिन	2018	150538	15000	-	-	11941	-	24.05.18
9.	इंज. पैंटाप्राजोल	2018	एडीजी021	60000	-	51577	8423	-	24.05.18
10.	इंज. लेबेटालोल	2018	एलबीजी682	293	-	-	293	-	24.05.18
11.	इंज. अमीनो एसिड 10%	2018	17जीएएम001	460	-	-	460	-	24.05.18
12.	इंज. पैरासिटामोल	2018	2491127	15000	-	1368	13632	-	24.05.18
13.	इंज. आयरन सुक्रोज	2018	3171097	1284	-	-	1284	-	24.05.18
14.	टैब एज़िथ्रोमाइसिन 500 मि.ग्रा.	2018	एज़ेडटी 15007	3000	-	-	3000	-	24.05.18
15.	टैब एज़िथ्रोमाइसिन 500 मि.ग्रा.	2018	एज़ेडटी 15008	3000	-	-	3000	-	24.05.18
16.	टैब एज़िथ्रोमाइसिन 500 मि.ग्रा.	2018	एज़ेडटी 16002	15000	-	-	15000	-	24.05.18
17.	डी3 के साथ कैल्शियम	2018	616-702	2000	-	-	2000	-	24.05.18
18.	नियोस्पोरिन त्वचा का मरहम	03/17 और 05/17	जी16035	1382	07/18	630	752	-	05/17

क्र.सं.	टेबलेट का नाम	स्टोर में प्राप्त होने की तिथि	बैच संख्या	प्राप्त मात्रा	समाप्ति की तिथि	मात्रा प्रतिस्थापित	निम्न गुणवत्ता की उपभोग की गई मात्रा	औषधि विभाग द्वारा नमूना प्राप्त करने की तिथि	अस्पताल द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि
19.	रेनिटिडाइन 150 मि.ग्रा.	03.05.19 03.08.19	आरएएन-1903 आरएएन-1920	617000 600000	07/20 07/20	572200 600000	44800 -	-	-
20.	एसिटाज़ोलमाइड 250 मि.ग्रा.	28.11.18	टी-1859007	50000	03/19	26580	23420	-	-
	सीएनबीसी								
21.	डाईक्लोफेनाक सोडियम 50 मि.ग्रा.	06.01.18	डीएफटी17021	5000	10/19	-	5000	06.08.18	02.01.19
22.	एनालाप्रिल मैलेट आईपी 2.5 मि.ग्रा.	07.04.18	टी15884	1000	12/19		630	06.08.18	02.01.19
23.	एसिटाज़ोलमाइड 250 मि.ग्रा.	16.11.18	टी-1859007	2000	02/20		1000		05.12.18
24.	कैल्शियम कार्बोनेट डी3 (सिरप)	25.11.19	केआर 7018 एवं 7021	7100	04/21		2024	05.12.19	14.01.20
25.	सेफ्ट्रिक्सोन, 1 ग्राम/शीशी	08.08.15	150669	6300	11/16		2080		05.11.15
26.	प्रोमेथाज़ीन	20.03.17	डीएल-017	15000	02/19		10100		21.11.17
27.	जेंटामाइसिन , 40 मि.ग्रा.	29.06.15	150538	300	10/16		200		26.08.15
28.	एंटासिड जेल	16.07.16	22-66बीएचडी10 एवं 9	3960	05/18		3960		21.12.16
29.	लेवोसेट्रिज़िन	16.07.16	01026-बीडीएच10	10000	05/18		10000		
30.	ओआरएस	12.09.16	1916-316	2325	06/18		2325		

अनुलग्नक IV
(पैराग्राफ 4.4.1 में संदर्भित)
अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता

(i) एलएनएच, जेएसएसएच, सीएनबीसी

क्र.सं.	माह	दवा का नाम	माह की शुरुआत में शेष	विभागों द्वारा मांगी गई मात्रा	माह में जारी मात्राएँ	टिप्पणी
			एलएनएच			
1.	मई 2017	रामिप्रिल, 5 मि.ग्रा	1400	35000	शून्य	22.06.17 को 30000 प्राप्त हुआ
2.	मई 2017	एम्लोडिपाइन, 5 मि.ग्रा.	20650	116000	20000	वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुआ
3.	मई 2017	बी. कॉम्प्लेक्स	970	107200	शून्य	30.06.2017 को 63000 मात्राएँ प्राप्त हुईं और 17 मई के इंडेंट के प्रति केवल 5100 जारी की गईं।
4.	मई 2017	एमिट्रिप्टिलाइन, 10 मि.ग्रा.	0	10000	शून्य	03.08.2017 को 4000 गोलियों का ताजा स्टॉक और 28.08.2017 को 15000 गोलियों का ताजा स्टॉक प्राप्त हुआ।
5.	मई 2017	एमिट्रिप्टिलाइन, 25 मि.ग्रा.	400	11000	शून्य	23.05.2017 को 5000 गोलियों का ताजा स्टॉक प्राप्त हुआ था लेकिन इस माह में कोई मात्रा जारी नहीं की गई थी।
6.	मई 2017	पाइरिडोक्सिन, 10 मि.ग्रा.	0	2000	शून्य	इस टैबलेट का पहला स्टॉक 200 टैबलेट का 10.06.2017 को प्राप्त हुआ था।
7.	मई 2017	बेथिस्टाइन, 8 मि.ग्रा.	1920	21200	1200	30000 टैबलेट का नया स्टॉक 06.09.2017 को प्राप्त हुआ।
8.	मई 2017	एटोरवास्टेटिन, 10 मि.ग्रा.	190	10050	50	08.07.2017 को 10000 टैबलेट का नया बैच प्राप्त हुआ।
9.	जनवरी 2021	के. बिंद सैशे	450	400	350	
10.	जनवरी 2021	सिरप डीपीएच	214	500	200	
11.	जनवरी 2021	सिरप आयरन	232	117	87	
12.	जनवरी 2021	ई/डी क्लोट्रिमेज़ोल	शून्य	50	शून्य	
13.	जनवरी 2021	एमोक्सीसिलिन	568	188	168	
14.	जनवरी 2021	सुप. सीफिक्सिम	शून्य	200	शून्य	
15.	फरवरी 2020	ग्लिसरॉल	876	1124	804	29 फरवरी 2020 को स्टोर में 300 बोतलें प्राप्त हुईं।
16.	फरवरी 2020	स्टेरिलियम	1954	3698	2958	15.02.2020 को 2000 बोतलें प्राप्त हुईं। 29.02.2020 को 1100 बोतलें प्राप्त हुईं।
17.	फरवरी 2020	हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H_2O_2)	270	546	486	15.02.2020 को 250 मात्राएँ प्राप्त हुईं और 29.02.2020 को 200 मात्राएँ प्राप्त हुईं।
18.	फरवरी 2020	विटामिन डी3 ड्रॉप्स	20	50	30	11.02.2020 को 10 बोतलें प्राप्त हुईं। 20 बोतलों का इंडेट चीफ मैडिकल वार्ड-13 एवं 16 द्वारा किया गया। लगभग 6 माह के

क्र.सं.	माह	दवा का नाम	माह की शुरुआत में शेष	विभागों द्वारा मांगी गई मात्रा	माह में जारी मात्राएँ	टिप्पणी
						अन्तराल के बाद दिनांक 25.08.2020 को 5 बोतलें प्राप्त हुई
जेएसएसएच						
19.	दिसंबर-2018	टैब. ग्लिम्पेराइड 1 मि.ग्रा.	शून्य	54000	शून्य	माह के दौरान प्राप्त नहीं हुआ
20.	दिसंबर-2018	टैब. ग्लिम्पेराइड 2 मि.ग्रा.	शून्य	200000	शून्य	माह के दौरान प्राप्त नहीं हुआ
21.	दिसंबर-2018	टैब. ग्लिम्पेराइड 4 मि.ग्रा.	शून्य	208000	शून्य	प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 22/04/19 को निष्पादित की गई
22.	दिसंबर-2018	टैब. मिथाइलकोब्लामाइन 500 मि.ग्रा.	शून्य	200000	शून्य	माह के दौरान प्राप्त नहीं हुआ
23.	दिसंबर-2018	टैब. बीटाहिस्टिन 8 मि.ग्रा.	शून्य	10000	शून्य	प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 06/03/19 को निष्पादित की गई
24.	दिसंबर-2018	टैब. एलुपुरिनोल 100 मि.ग्रा./ज़ाइलोनिक	2000	45000	2000	मार्च 2022 तक प्राप्त नहीं हुआ
25.	दिसंबर-2018	टैब. डोनेज़ेपिल 5 मि.ग्रा.	568	5000	शून्य	प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 02/04/19 को निष्पादित की गई
26.	दिसंबर-2018	टैब. वारफेरिन 5 मि.ग्रा.	शून्य	5000	शून्य	प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 06/03/19 को निष्पादित की गई
27.	दिसंबर-2018	टैब. एस्सिटालोप्राम 10 मि.ग्रा.	शून्य	20000	शून्य	मार्च 2020 तक प्राप्त नहीं हुआ
28.	दिसंबर-2018	टैब. डॉक्सोफ़िलाइन 400 मि.ग्रा.	शून्य	30000	शून्य	प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 24/04/19 को निष्पादित की गई
29.	फरवरी-2020	टैब. डिगॉक्सिन 0.25 मि.ग्रा.	शून्य	5000	शून्य	टैब. दिसंबर 2019 से स्टॉक में नहीं थी और प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 15/10/2020 को निष्पादित की गई थी
30.	फरवरी-2020	टैब. डोम्पेरिडोन 10 मि.ग्रा.	शून्य	60000	शून्य	टैब. दिसंबर 2019 से स्टॉक में नहीं थी और प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 24/06/2020 को निष्पादित की गई थी
31.	जनवरी-2021	टैब. मॉन्टेलुकास्ट 10 मि.ग्रा.	शून्य	5000	शून्य	टैब. दिसंबर 2020 से स्टॉक में नहीं थी और प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 26/08/2021 को निष्पादित की गई थी
32.	जनवरी-2021	टैब. वोग्लीबोस 0.3 मि.ग्रा.	शून्य	100000	शून्य	टैब. दिसंबर 2020 से स्टॉक में नहीं थी और प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 03/03/2021 को निष्पादित की गई थी
33.	जनवरी-2021	टैब. कार्बामेज़िपिन 200 मि.ग्रा.	शून्य	40000/-	शून्य	टैब. अक्टूबर-2020 से स्टॉक में नहीं थी और प्राप्त इंडेंट के प्रति अगली आपूर्ति 03/03/2021 को निष्पादित की गई थी
सीएनबीसी						
34.	मई 2017	एसाइक्लोविर, 200 मि.ग्रा.	150	3000	100	28.07.17 को 1500 प्राप्त हुआ और केवल 300 जारी किए गए

क्र.सं.	माह	दवा का नाम	माह की शुरुआत में शेष	विभागों द्वारा मांगी गई मात्रा	माह में जारी मात्राएँ	टिप्पणी
35.	मई 2017	एनालप्रिल मेलेट, 5 मि.ग्रा.	0	5000	शून्य	31.05.17 को 2000 प्राप्त हुआ और 07.06.17 को केवल 1000 जारी किए गए
36.	मई 2017	डाइक्लोफेनिक सोडियम, 50 मि.ग्रा.	0	4000	शून्य	5000 की मात्रा 19.05.17 को प्राप्त हुईं और 17 मई के इंडेंट के प्रति केवल 3000 जारी की गईं।
37.	मई 2017	एडापलीन, 15 मि.ग्रा	0	1000	शून्य	वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुआ।
38.	मई 2017	सोडियम बाइकार्बोनेट, 500 मि.ग्रा.	50	3000	शून्य	19.07.2017 को 9950 टेबलेट प्राप्त हुई।
39.	मई 2017	बीटामेथसोन, 20 मि.ग्रा.	0	1000	शून्य	दिनांक 19.08.2017 को केवल 100 टेबलेट का नया स्टॉक प्राप्त हुआ।
40.	दिसंबर 2018	इंज. हेपरिन 25000 आईयू	10	40	10	
41.	दिसंबर 2018	कैल्शियम कार्बोनेट, 500 मि.ग्रा.	5430	10000	3000	
42.	दिसंबर 2018	सेफेक्सिम, 200 मि.ग्रा.	4200	8000	3000	
43.	दिसंबर 2018	फोलिक एसिड, 5 मि.ग्रा.	330	6000	200	
44.	दिसंबर 2018	मेट्रोनेडाजोल , 400 मि.ग्रा.	100	3000	50	
45.	दिसंबर 2018	फेनोबैरिटोन , 30 मि.ग्रा.	150	1000	150	
46.	जुलाई 2019	एंटी रैबिस वैक्सीन	60	100	20	
47.	जुलाई 2019	प्रज़ोसिन, 5 मि.ग्रा.	500	2000	300	
48.	फरवरी 2020	विटामिन डी3 6000 यूनिट	340	1000	100	
49.	फरवरी 2020	एड्रेनालाईन	9980	2000	500	
50.	जनवरी 2021	इंज. मिडाज़ोलम	175	1200	125	
51.	जनवरी 2021	विटामिन के 10 मि.ग्रा.	350	100	50	
52.	जनवरी 2021	लैक्टुलोज, 100 मि.ली.	90	1000	40	
53.	जनवरी 2021	मेनसा	6	30	6	
54.	जनवरी 2021	एम्लोडेपाइन 5 मि.ग्रा.	1830	2000	730	

(ii) उन दवाओं की सूची जो आरजीएसएसएच में उपलब्ध नहीं थीं

क्र.सं.	वस्तुओं का नाम उपलब्ध नहीं है	से	तक	इंडेंटिंग विभाग	लगभग वह अवधि जिसके लिए दवा उपलब्ध नहीं है
आरजीएसएसएच					
1.	सामान्य सेलाइन 500 मि.ली.	22.10.2016	21.11.2016	सीसीयू	1 माह
2.	इंज. लिग्नोकेन2%	22.05.2017	07.03.2018	कैथ लैब	9 माह
3.	इंज. हेपरिन 25000 आईयू	22.05.2017	05.04.2018	,,	10 माह
4.	सामान्य सेलाइन 100 मि.ली.	26.05.2017	19.11.2017	आपातकाल	6 माह

क्र.सं.	वस्तुओं का नाम उपलब्ध नहीं है	से	तक	इंडेंटिंग विभाग	लगभग वह अवधि जिसके लिए दवा उपलब्ध नहीं है
5.	इंज. लासिक्स/फ़्यूरोसेमाइड	26.05.2017	06.07.2017	,,	1 माह
6.	इंज. क्लीक्सिन /एनोक्सापारिन 0.4 मि.ली.	26.05.2017	20.09.2017	,,	4 माह
7.	इंज. ट्रामाडोल 50 मि.ग्रा.	26.05.2017	09.07.2017	,,	$1^{1/2}$ माह
8.	इंज. पैन टॉप 40 मि.ग्रा.	26.05.2017	06.07.2017	,,	1 माह
9.	इंज. रैनटैक /रैनिटिडाइन 50 मि.ग्रा.	26.05.2017	06.07.2017	,,	1 माह
10.	इंज. केटामाइन	22.05.2017	12.09.2017	एंडोस्कोपी	$3^{1/2}$ माह
11.	इंज. पैंटोप्राजोल 40 मि.ग्रा.	22.05.2017	06.07.2017	,,	$1^{1/2}$ माह
12.	इंज. ट्रामाडोल 50 मि.ग्रा.	22.05.2017	09.07.2017	,,	$1^{1/2}$ माह
13.	इंज. नॉर-एड्रेनालाईन	22.05.2017	09.07.2017	,,	$1^{1/2}$ माह
14.	इंज. डेरिफाइलिन /थियोफिलाइन	22.05.2017	18.12.2017	,,	7 माह
15.	इंज. मेटोक्लोप्रामाइड	22.05.2017	04.02.2019	,,	$8^{1/2}$माह
16.	इंज. हायोसाइन ब्रोमाइड	22.05.2017	04.03.2018	,,	$9^{1/2}$ माह
17.	टैब. एम्लोडिपाइन 5 मि.ग्रा.	22.05.2017	09.07.2017	,,	$1^{1/2}$ माह
18.	टैब. बिसाकोडिल 5 मि.ग्रा.	22.05.2017	09.07.2017	,,	$1^{1/2}$ माह
19.	इंज. एड्रेनालाईन	20.12.2018	04.02.2019	,,	$1^{1/2}$ माह
20.	इंज. कैल्शियम ग्लूकोनेट	31.12.2018	04.02.2019	पुल्मो वार्ड	1 माह
21.	इंज. सोडा बाइकार्बोनेट	31.12.2018	04.02.2019	,,	1 माह
22.	इंज. सोडा बाइकार्बोनेट	18.12.2018	04.02.2019	आईसीयू	$1^{1/2}$ माह
23.	इंज. एसटीके/स्ट्रेप्टोकिनेज	13.01.2021	19.03.2021	आईसीयू	2 माह
24.	इंज. एडेनोसाइन	13.01.2021	19.03.2021	आईसीयू	2 माह
25.	इंज. पिप्टाज / पिपेरासिलिन 4.5 मि.ग्रा.	14.01.2021	16.02.2021	पुल्मो वार्ड	1 माह
26.	इंज. जेंटामाइसिन	14.01.2021	18.03.2021	,,	2 माह
27.	इंज. लिनेज़ोलिद	14.01.2021	06.10.2021	,,	$8^{1/2}$ माह
28.	इंज. ट्रेनेक्सा / ट्रैनेक्सैमिक एसिड	14.01.2021	11.05.2021	,,	4 माह
29.	इंज. म्यूकोमिक्स /एन- एसिटाइल सिस्टीन	14.01.2021	17.01.2022	सीटीवी आईसीयू	1 वर्ष
30.	इंज. एडेनोसाइन	20.01.2021	19.03.2021	आईयूसी	2 माह
31.	बीटाडिन सोल्यूशन	27.01.2021	14.06.2021	आरयूसीयू	$4^{1/2}$ माह
32.	टैब. मौंटेलुकैस्ट 10 मि.ग्रा	27.01.2021	19.03.2021	,,	$1^{1/2}$ माह
33.	इंज. स्कैनलाइन	27.01.2021	06.05.2021	ओटी	3 माह
34.	इंज. एसटीके/स्ट्रेप्टोकिनेज	29.01.2021	19.03.2021	सीसीयू	$1^{1/2}$ माह
35.	इंज. एडेनोसाइन	29.01.2021	19.03.2021	सीसीयू	$1^{1/2}$ माह
36.	इंज. हेपेटाइटिस बी इम्युनोग्लोबुलिन	30.01.2021	28.04.2021	एंडोस्कोपी	3 माह

अनुलग्नक V

(पैराग्राफ 5.2.7 में संदर्भित)

डीजीएचएस को भूमि आबंटन के बाद अस्पताल/औषधालय जैसी विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास न होना

क्र. सं.	भूमि का स्थान	आबंटन की तिथि	भूमि की लागत (राशि लाख में)	कब्ज़े की तिथि	आबंटन की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए लिया गया समय (महीनों में)	भुगतान की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए समय चूक (महीनों में)	भूमि स्वामित्व एजेंसी	टिप्पणियां
1.	कुतुबगढ़ गांव में 3 बीघा 17 बिस्वा का एक प्लॉट **(औषधालय/ पालीक्लिनिक अभी निर्णय होना बाकी है)**	19.08.2015	बिना लागत आधार पर	09.11.2015	2	लागू नहीं	पंचायत विभाग	डीजीएचएस आबंटन तिथि से 75 माह के बाद भूमि पर शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा (औषधालय या पॉलीक्लिनिक) तय करने में विफल रहा।
2.	निजामपुर गांव में 1 बीघे 11 बिस्वा का प्लॉट **(औषधालय/ पालीक्लिनिक अभी निर्णय होना बाकी है)**	19.08.2015	बिना लागत आधार पर	09.11.2015	2	लागू नहीं	पंचायत विभाग	डीजीएचएस आबंटन तिथि से 75 माह के बाद भूमि पर शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा तय करने में विफल रहा।
3.	मुंडका गांव में 9 बिस्वा का एक प्लॉट **(औषधालय/ पालीक्लिनिक अभी निर्णय होना बाकी है)**	01.09.2015	बिना लागत आधार पर	विभाग के पास उपलब्ध नहीं है	-	लागू नहीं	पंचायत विभाग	डीजीएचएस आबंटन तिथि से 74 माह के बाद भूमि पर शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा तय करने में विफल रहा।
4.	बक्करवाला गांव में 2 बीघा 8 बिस्वा का एक प्लॉट **(औषधालय/ पालीक्लिनिक अभी निर्णय होना बाकी है)**	07.08.2015	बिना लागत आधार पर	विभाग के पास उपलब्ध नहीं है	-	लागू नहीं	पंचायत विभाग	डीजीएचएस आबंटन तिथि से 75 माह के बाद भूमि पर शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा तय करने में विफल रहा।
5.	शफीपुर रणहौला गांव में 11 बिस्वा का एक प्लॉट **(स्वास्थ्य सुविधा)**	01.09. 2015	बिना लागत आधार पर	30.12.2015	74	लागू नहीं	पंचायत विभाग	डीजीएचएस आबंटन तिथि से 74 माह के बाद भूमि पर शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा।

क्र. सं.	भूमि का स्थान	आबंटन की तिथि	भूमि की लागत (राशि लाख में)	कब्ज़े की तिथि	आबंटन की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए लिया गया समय (महीनों में)	भुगतान की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए समय चूक (महीनों में)	भूमि स्वामित्व एजेंसी	टिप्पणियां
6.	शास्त्री पार्क गॉव के ए ब्लॉक में 1000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट, (बुलंद मस्जिद के पास) **(औषधालय)**	06.08.2008	18.85	20.05.2010	21	141	डीडीए	कब्जे की तारीख से 138 माह और 17.2.2010 को भूमि के भुगतान के 141 माह बाद भी डीजीएचएस भूमि पर स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा।
7.	गांधी विहार में 1000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(औषधालय)**	08.06.2009	52.33	25.1.2011	19	137	डीडीए	कब्जे की तारीख से 130 माह और 31.05.2010 को भूमि के भुगतान के 137 माह बाद भी डीजीएचएस भूमि पर स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा।
8.	कापसहेड़ा में 1685.2 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(औषधालय)**	01.05.2012	22.64	23.5.2014	24	100	डीडीए	डीजीएचएस कब्जे की तारीख से 90 माह और 15.07.2013 को भूमि के भुगतान के 100 माह बाद भी भूमि पर स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा।
9.	सेक्टर-04, रोहिणी एक्सटेंशन में 1000 वर्ग मीटर का एक प्लॉट, **(औषधालय)**	14.11.2012	47.67 28.36 अतिरिक्त भूमि लागत	19.6.2014	19	105	डीडीए	डीजीएचएस कब्जे की तारीख से 89 महीनों के बाद और 11.02.2013 और 09.04.2015 को भूमि के भुगतान के 105 और 79 महीनों के बाद भी भूमि पर स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा।
10.	दरियापुर कलां में1685.2 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(औषधालय)**	17.05.2012	34.86	5.7.2013	13	108	पंचायत विभाग	डीजीएचएस कब्जे मिलने की तारीख के 114 माह बाद और 19.11.2012 को भूमि के भुगतान के 108 माह बाद भी भूमि पर स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा।
11.	सीएस/ओसीएफ-2, सेक्टर-23 में 797 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(औषधालय)**	29.04.2013	60.59	9.6.2015	25	83	डीडीए	डीजीएचएस कब्जे की तारीख से 102 माह और 19.12.2014 को भूमि के भुगतान के 83 माह बाद भी भूमि पर स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा।
12.	नेब सराय में 360 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(औषधालय)**	06.09.2011	7.43	1.6.2012	8	115	पंचायत विभाग	डीजीएचएस कब्जे की तारीख से 122 माह के बाद और 31.03.2012 को भूमि के भुगतान के 115 माह बाद भी भूमि पर स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने में विफल रहा, इसका कारण यह बताया गया कि मालिकों द्वारा चारदीवारी के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी गई थी। बगल के प्लाट का दावा है कि यह प्लाट उनका है।

क्र. सं.	भूमि का स्थान	आबंटन की तिथि	भूमि की लागत (राशि लाख में)	कब्ज़े की तिथि	आबंटन की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए लिया गया समय (महीनों में)	भुगतान की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए समय चूक (महीनों में)	भूमि स्वामित्व एजेंसी	टिप्पणियां
13.	झटीकरा में 6951 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(अस्पताल)**	30.01.2008	47.57	30.9.2009	20	158	पंचायत विभाग	पत्र दि. 26.05.2011 द्वारा डीडीए ने सूचित किया कि एमपीडी 2021 मानदंडों के अनुसार अस्पताल के निर्माण की अनुमति नहीं है। हालाँकि, डीजीएचएस ने भूमि उपयोग में बदलाव और मोहल्ला क्लीनिक के निर्माण की संभावना के बारे में 17.10.2016 को ही पूछताछ की। विभाग द्वारा भूमि के उपर्युक्त टुकड़े की पहचान करने के लिए संयुक्त निरीक्षण के लिए 8.11.11 के बाद डीजीएचएस द्वारा संबंधित खंड विकास अधिकारी के साथ गांव या उसके आसपास के क्षेत्रों में 100 बिस्तरों वाले मातृत्व सह स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए कोई पत्राचार नहीं किया गया था।
14.	बामनोली में 14534 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(अस्पताल)**	18.09.2008	300.65	21.1.2010	16	उपलब्ध नहीं है	पंचायत विभाग	पत्र दि.दि. 26.5.2011 डीडीए ने सूचित किया कि हरित पट्टी का हिस्सा होने के कारण एमपीडी 2021 मानदंडों के अनुसार अस्पताल के निर्माण की अनुमति नहीं है। हालांकि, डीजीएचएस ने केवल 17.10.2016 को भूमि उपयोग में बदलाव और मोहल्ला क्लीनिक के निर्माण के बारे में पूछताछ की। 7.7.2011 के बाद मौजूदा आबंटित भूमि के बदले में पास के क्षेत्र में दूसरी भूमि आबंटित करने और 17.11.2020 से पहले पैसे वापस करने के लिए डीजीएचएस द्वारा संबंधित कार्यालय के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था।
15.	मोलरबैंड में 3960 वर्ग मीटर का एक प्लॉट **(अस्पताल)**	27-12-2006	27.1	28.6.2007	6	उपलब्ध नहीं है	पंचायत विभाग	डीजीएचएस ने पत्र 24.8.2007 के माध्यम से भूमि उपयोग में बदलाव के संबंध में एनओसी के लिए डीडीए से अनुरोध किया था। डीडीए ने पत्र 30.12.2014 के माध्यम से भूमि उपयोग में बदलाव के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि ज़ोन की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार भूमि को 'नदी और जल निकाय' के रूप में चिह्नित किया गया था। हालाँकि, वैकल्पिक भूखंड के आबंटन के लिए पंचायत कार्यालय के साथ 10.4.2015 से पहले कोई

क्र. सं.	भूमि का स्थान	आबंटन की तिथि	भूमि की लागत (राशि लाख में)	कब्ज़े की तिथि	आबंटन की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए लिया गया समय (महीनों में)	भुगतान की तारीख के बाद कब्ज़े के लिए समय चूक (महीनों में)	भूमि स्वामित्व एजेंसी	टिप्पणियां
								पत्राचार उपलब्ध नहीं था। दक्षिण पूर्व जिले और निकटतम सरकारी क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में कोई भी अस्पताल या तो एम्स, सफदरजंग या पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल हैं, ये सभी प्रस्तावित स्थल से 16 किलोमीटर से अधिक दूर हैं।
		कुल	**648.05**					

अनुलग्नक VI
(पैराग्राफ 8.2.2 में संदर्भित)
नर्सिंग संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पिछला निरीक्षण आयोजित किया गया	आयोजित किये जाने वाले निरीक्षण की तिथि	आयोजित निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण में देरी (माह)
1.	आकांक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग आरजेड-सी-117, गोपाल नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली-43	नवंबर 2017	नवंबर 2020	फरवरी 2022	14
2.	अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग सरिता विहार नई दिल्ली 110044	मई 2017	मई 2020	अक्टूबर 2021	17
3.	अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली	जुलाई 2015	जुलाई 2018	अक्टूबर 2019	15
4.	ब्रह्म शक्ति स्कूल ऑफ एनएसजी यू-1/78 बुध विहार, मुख्य कंझावला रोड, दिल्ली-86	जून 2018	जून 2021	फरवरी 2022	08
5.	धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	अक्टूबर 2018	अक्टूबर 2021	मई 2022 तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ	07
6.	गिन्नी देवी एक्शन स्कूल ऑफ नर्सिंग एफसी-34-ए-4, पश्चिम विहार , नई दिल्ली-63	जनवरी 2016	जनवरी 2019	फरवरी 2022	37
7.	होली फैमिली हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ओखला रोड, एन.डी 110025	अप्रैल 2016	अप्रैल 2019	मई 2022 तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ	37
8.	एलएचएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली 110001	फरवरी 2015	फरवरी 2018	जुलाई 2019	17
9.	लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल बाड़ा हिंदू राव दिल्ली 110007	मार्च 2014	मार्च 2017	अक्टूबर 2019	31
10.	राष्ट्रीय हृदय संस्थान, दिल्ली	मई-15	मई 2018	अक्टूबर 2021	41
11.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया नर्सिंग स्कूल स्वामी दयानंद अस्पताल दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095	फरवरी 2016	फ़रवरी 2019	अप्रैल 2022	38
12.	आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाजपत नगर III, नई दिल्ली -110024	अप्रैल-16	अप्रैल 2019	मई 2022 तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ	37
13.	डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल कॉलेज ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली 110001	अगस्त 2017	अगस्त 2020	मई 2022 तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ	21
14.	रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जामिया हमदर्द नगर, नई दिल्ली 62	नवंबर 2014	नवंबर 2017	फ़रवरी 2019	15
15.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र नजफगढ़, नई दिल्ली 110073	जनवरी 2014	जनवरी 2017	जून 2019	29
16.	सलोकया कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्लॉट नंबर 1147 रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली-85	मई 2013	मई 2016	फ़रवरी 2019	33
17.	नर्सिंग कॉलेज, सेंट स्टीफंस अस्पताल, तीस हजारी के पास , दिल्ली-110054	मई 2017	मई 2020	अक्टूबर 2022	29
18.	संत परमानंद हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली 110084	अक्टूबर 2018	अक्टूबर 2021	मई 2022 तक कोई निरीक्षण नहीं	07

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पिछला निरीक्षण आयोजित किया गया	आयोजित किये जाने वाले निरीक्षण की तिथि	आयोजित निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण में देरी (माह)
19.	स्कूल ऑफ नर्सिंग, तीरथ राम शाह हॉस्पिटल 1, ईशर दास साहनी रोड, राजपुर रोड, दिल्ली 54	जनवरी 2016	जनवरी 2019	मई 2022 तक कोई निरीक्षण नहीं	40
20.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल अंसारी नगर दिल्ली	मई 2016	मई 2019	मई 2022 तक कोई निरीक्षण नहीं	36

अनुलग्नक VII

(पैराग्राफ 10.1.7 में संदर्भित)

चिह्नित निजी अस्पताल द्वारा ईडब्ल्यूएस रोगियों को अनुचित निःशुल्क इलाज/ निःशुल्क इलाज प्रदान न करना

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
1.	श्री राम लाल सिंह	बत्रा	30,000	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं दिया गया	रोगी ने दावा किया कि अस्पताल ने उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत निशुल्क इलाज करने से मना कर दिया तथा इलाज के लिए ₹ 30000/- का भुगतान लिया। शिकायत अस्पताल को 19.10.2021 भेज दी गई थी लेकिन 132 दिनों की देरी के बाद भी उत्तर अभी भी लंबित है।
2.	श्री हातम सिंह	बत्रा	1,31,851	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं दिया गया	रोगी को दिल की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अस्पताल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज किया जाता था और अस्पताल के कर्मचारियों ने मेरा रेफरल पत्र फाड़ दिया। अस्पताल ने अपने उत्तर में कहा कि रोगी ने भर्ती और इलाज के समय ईडब्ल्यूएस दस्तावेज नहीं दिखाए थे। इसलिए रोगी को भुगतान श्रेणी में माना गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का था और अस्पताल ने उसके इलाज पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस रोगी के लिए यह सेवा निःशुल्क है जो उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नकद/भुगतान वाले रोगी को प्रदान की जाएगी।
3.	मो. नज़ीर	बत्रा		देरी करना और उचित उपचार न देना	रोगी कैंसर से पीड़ित था और उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही थी और अस्पताल अधिकारी रोगी पर ध्यान नहीं दे रहे थे और लंबी तारीख दे रहे थे (जैसा कि रोगी ने 13.11.2019 को बताया था)। शिकायत 19.11.2019 को अस्पताल को भेज दी गई लेकिन 830 दिनों की देरी के बाद भी आज तक कोई उत्तर नहीं मिला।
4.	श्री खान चंद	बत्रा	2,66,866	ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	रोगी ने दावा किया कि उसका ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत इलाज नहीं किया गया और अस्पताल ने मुफ्त इलाज करने के बदले उससे शुल्क लिया। अस्पताल ने अपने उत्तर में कहा कि रोगी ने भर्ती के समय अपनी ईडब्ल्यूएस श्रेणी नहीं बताई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का था।
5.	श्री जसबीर सिंह	बत्रा	6,42,902	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं दिया गया	हेमरेज के कारण रोगी को आपातकालीन स्थिति में बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन अस्पताल ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज करने से इनकार कर दिया था। शिकायत 02 अप्रैल 2019 को अस्पताल को भेज दी गई थी लेकिन 1065 दिनों की देरी के बाद भी आज तक कोई उत्तर नहीं मिला।
6.	श्री सुरेश कुमार	बत्रा	उपलब्ध नहीं	इलाज में देरी	रोगी ने शिकायत की कि वह किडनी की गंभीर समस्या से पीड़ित है और उसे नियमित आधार पर तत्काल डायलिसिस की आवश्यकता है और हालत बिगड़ रही है, लेकिन अस्पताल ने कहा कि आपकी बारी 6-7 महीनों में आएगी। अस्पताल ने उत्तर दिया कि उन्हें डायलिसिस के लिए समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर सत्य नहीं प्रतीत होता क्योंकि रोगी को तत्काल नियमित आधार पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है।

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
7.					बत्रा हॉस्पिटल के खिलाफ ड्रग्स/दवाओं की अनुपलब्धता, उपचार/नैदानिक जांच के लिए लंबी तारीख देना, ईडब्ल्यूएस मरीजों का ठीक से इलाज न करना और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करना, अस्पताल द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति न करना, गैर-चिह्नित करने जैसी बहुत सारी शिकायतें हैं । ईडब्ल्यूएस दरें क्षेत्रीय विधायक, संबंधित संपर्क अधिकारी और बत्रा अस्पताल के संघ से प्राप्त हुई हैं, जिससे इस संबंध में अन्य मरीजों द्वारा की गई शिकायत को बल मिलता है, लेकिन डीजीएचएस ने शिकायतों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए कोई पूछताछ/जांच शुरू नहीं की है, यह केवल अस्पताल की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है जो हो सकता है पक्षपातपूर्ण हो और भविष्य में शिकायतों को कम करने के लिए ईडब्ल्यूएस रोगियों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अस्पताल को कोई निर्देश/परामर्श जारी नहीं किया गया।
8.	श्रीमती राम प्यारी	माता चानन देवी	45000	मुफ्त दवा नहीं दे रहे	18.09.2018 को शिकायत दर्ज की गई, ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा संबंधित अस्पताल को उत्तर देने के लिए 24.09.2018 को प्रेषित किया गया लेकिन **1230 दिनों** की देरी (जनवरी 2022 तक) के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
9.	श्रीमती प्रीति	माता चानन देवी	12,082	ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि अस्पताल प्राधिकारी ने दुर्व्यवहार किया और छुट्टी के समय पैसे वसूले। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी को सशुल्क सेवाओं का लाभ मिल गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रोगी के प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस बिस्तर खाली थे। एलओ/ईडब्ल्यूएस ने उत्तर के तथ्यों को सत्यापित नहीं किया और केवल रोगी को सूचित किया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ईडब्ल्यूएस रोगी को सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी जो भुगतान किए गए रोगी को दी जा रही हैं।
10.	श्री मनोज	माता चानन देवी		निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा न देने तथा निःशुल्क श्रेणी में आगे उपचार न करने संबंधी शिकायत	ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 20.10.2020 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन **469 दिनों** की देरी (जनवरी 2022 तक) के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
11.	श्री गुलशन	इंडियन स्पाईनल इनज्यूरी	15,000	ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज नहीं मिल रहा	रोगी से शुल्क वसूलने के संबंध में अस्पताल ने कोई विशेष उत्तर नहीं दिया है।
12.	श्री बृजमाला	इंडियन स्पाईनल इनज्यूरी		ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज नहीं मिल रहा	रोगी ने शिकायत की कि कई माह बीत जाने के बाद भी उसकी रीढ़ की हड्डी की चोट का ऑपरेशन नहीं किया गया और उसे चलने-बैठने में काफी दिक्कत हो रही है। अस्पताल ने बिस्तर अधिभोग विवरण प्रस्तुत किए बिना उत्तर दिया कि उस समय कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं था और कई महीनों के बाद भी उपचार प्रदान नहीं करने पर चुप रहा। एलओ/एनओ/ईडब्ल्यूएस सेल द्वारा इस तथ्य का भी सत्यापन नहीं किया गया कि रोगी का इलाज समय पर क्यों नहीं किया गया।

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
13.	श्री मो . ताहिर	इंडियन स्पाईनल इनज्यूरी		ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	शिकायतकर्ता ने कहा कि वह 16.01.2019 को एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में आपातकालीन उपचार मिला, जिसके बाद वह आगे के इलाज के लिए इंडियन स्पाइनल इंज्यूरी में गया, लेकिन अस्पताल ने 02 माह से अधिक समय तक कोई इलाज नहीं किया और उसके पैर की हालत बहुत तेजी से खराब हो गई। अस्पताल ने उत्तर दिया कि प्रवेश के समय (02.02.19) बिस्तर उपलब्ध नहीं था। उस तारीख के बिस्तर अधिभोग का विवरण प्रस्तुत किए बिना और 02 माह और 11 दिनों में भी मुफ्त बिस्तर उपलब्ध नहीं कराने पर चुप रहा। एलओ/एनओ/ ईडब्ल्यूएस सेल ने उन्हें जल्द से जल्द इलाज दिलाने में मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया।
14.	सुश्री सकीना	इंडियन स्पाईनल इनज्यूरी		ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज नहीं मिल रहा	रोगी ने बताया कि वह कूल्हे की चोट से पीड़ित थी और उसे तत्काल इलाज की आवश्यकता थी लेकिन अस्पताल द्वारा कोई इलाज नहीं किया गया और ऑपरेशन करने के बजाय 04 माह की दवा दे दी गई। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 16.10.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन **836 दिनों** की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
15.	श्री मुनव्वर रशीद	पुष्पावती सिंघानिया (पीएसआरआई)		मुफ्त दवा और जांच नहीं दे रहे	अपने उत्तर में अस्पताल द्वारा दवा के शुल्क का कोई जिक्र नहीं किया गया।
16.	श्री हीरालाल सिंह	पुष्पावती सिंघानिया (पीएसआरआई)		गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद निःशुल्क दवाएँ उपलब्ध नहीं कराना	अस्पताल ने कहा कि रोगी को एम्स से इलाज कराना चाहिए और दवा लेनी चाहिए, जहां उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस रोगी किसी भी आईपीएच से दवा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।
17.	सुश्री रमेश देवी	महराजा अग्रसेन		मुफ्त इलाज से इनकार कर दिया	एलएनजेपी अस्पताल द्वारा रोगी (इंटरस्टीशियल लंग डिजीज से पीड़ित और भारी दर्द से जूझ रहा था) को आपातकालीन स्थिति में महाराजा अग्रसेन अस्पताल में रेफर किए जाने के बाद भी अस्पताल ने आपातकालीन स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रोगी को भर्ती करने से इनकार कर दिया था जैसा कि शिकायतकर्ता ने इस मामले में कहा, आपातकालीन रोगी की रेफरल प्रक्रिया का सरकारी और निजी अस्पताल दोनों द्वारा पालन नहीं किया गया। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 10.6.21 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन **235 दिनों** की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
18.	सुश्री आशा	महराजा अग्रसेन	उपलब्ध नहीं	मुफ्त इलाज नहीं कर रहे और फीस ले रहे हैं।	ईडब्ल्यूएस रोगी ने शिकायत की कि अस्पताल में उसके इलाज पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च हुए हैं और उसके पास आगे के इलाज के लिए और पैसे नहीं हैं। अस्पताल प्राधिकरण ने बिल पर 30% की छूट की पेशकश की है, इसके बावजूद उसने आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए उनसे ₹ 38000/- का शुल्क लिया है, शिकायत ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा संबंधित अस्पताल को 10.10.18 को उत्तर के लिए भेज दी गई है, लेकिन 1207 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022 तक)

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
19.	सुश्री कमला रानी	मूल चंद		दवा उपलब्ध नहीं करायी गयी।	रोगी ने दावा किया कि आईपीएच द्वारा दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा 2.4.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को शिकायत भेज दी गई, लेकिन 1034 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
20.	नसीम जहां	मूल चंद		दवा उपलब्ध नहीं करायी गयी।	रोगी ने दावा किया कि आईपीएच द्वारा दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा 2.4.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को शिकायत भेज दी गई, लेकिन 1034 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
21.	सुश्री गीता देवी	मूल चंद		ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	रोगी ने दावा किया कि आईपीएच द्वारा दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 31.5.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 975 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
22.	सुश्री सरिता	मूल चंद		दवा उपलब्ध नहीं करायी गयी।	रोगी ने दावा किया कि आईपीएच द्वारा दवाएं और इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 9.8.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 905 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
23.	सुश्री अनिता	मूल चंद		दवा उपलब्ध नहीं करायी गयी।	रोगी ने दावा किया कि आईपीएच द्वारा दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 9.8.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 905 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
24.	सुश्री आरती गोयल	मूल चंद		दवा उपलब्ध नहीं करायी गयी।	रोगी ने दावा किया कि आईपीएच द्वारा दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 9.8.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 905 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
25.	श्री बीरेंद्र मिश्रा	विमहन्स		ईडब्ल्यूएस रोगी के साथ दुर्व्यवहार	रोगी ने दावा किया कि उसके इलाज के दौरान ईडब्ल्यूएस के तहत पंजीकरण से लेकर दवा, नैदानिक परीक्षण/जांच/परामर्श प्रदान करने तक विभिन्न स्तरों पर उसे परेशान किया जा रहा था तथा भुगतान करने वाले रोगी और मुफ्त रोगी के बीच बड़ा भेदभाव किया गया था, केवल जूनियर डॉक्टर ही ईडब्ल्यूएस मरीजों का इलाज कर रहे थे और कोई भी वरिष्ठ नहीं था। ईडब्ल्यूएस रोगी के इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 23.1.19 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 1103 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
26.	श्री टिंटू राम	विमहन्स	80663	ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	रोगी को आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया था लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उपचार नहीं किया गया था और अस्पताल द्वारा इलाज के लिए ₹ 80663 का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी ने प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस दस्तावेज नहीं दिखाया था।
27.	सुश्री शाहिदा बेगम	मैक्स पटपड़गंज		ईडब्ल्यूएस रोगी के साथ उचित इलाज/उपचार नहीं किया गया	रोगी ने शिकायत की कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 11.3.21 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 325 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
28.	सुश्री शमशाद	मैक्स पटपड़गंज		ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	रोगी ने दावा किया कि वह हृदय रोग से पीड़ित था और इस अस्पताल में उसका इलाज हुआ था लेकिन अब अस्पताल ने कोई भी दवा और नैदानिक जांच प्रदान करने से इनकार कर दिया है। रोगी की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी लेकिन अस्पताल प्रशासन उसकी पीड़ा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 26.3.21 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 310 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
29.	श्री शिव रतन	मैक्स पटपड़गंज		इलाज मुहैया कराने में देरी	रोगी ने दावा किया कि वह कैंसर से पीड़ित है लेकिन उसे रेडिएशन थेरेपी के लिए बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। परीक्षण के लिए तारीख प्राप्त करने के लिए कोई नैदानिक जांच तारीख प्रदान नहीं की गई थी। अस्पताल ने बताया कि जांच की तारीख 15 दिनों में दी जाएगी, लेकिन 2-3 माह की देरी के बाद भी कोई तारीख नहीं दी गई, ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 20.7.21 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 195 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। (जनवरी 2022)
30.	सुश्री सुष्मिता सेन	मैक्स पटपड़गंज		ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	रोगी का दावा है कि उसे इमरजेंसी वार्ड में इलाज नहीं दिया गया, जबकि वह पथरी की बीमारी से पीड़ित थी. वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के बाद भी ऑपरेशन की कोई तारीख नहीं दी गई और हर बार उसका नाम प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। हालत खराब हो गई थी और भारी दर्द हो रहा था। ईडब्ल्यूएस शाखा द्वारा शिकायत 3.8.21 को उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को भेज दी गई, लेकिन 181 दिनों की देरी के बाद भी अस्पताल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।
31.	सुश्री संध्या शुक्ला	मैक्स शालीमार बाग	4133	ईडब्ल्यूएस के तहत इलाज से इनकार कर दिया	रोगी को 04.07.2017 को आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत इलाज करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ईडब्ल्यूएस बिस्तर उपलब्ध नहीं था और डायग्नोस्टिक जांच के लिए शुल्क लिया गया था। बाद में मैक्स अस्पताल द्वारा मना करने के बाद रोगी को स्वयं सरोज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27.7.2017 को ईडब्ल्यूएस शाखा में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन 1648 दिनों की देरी के बाद भी ईडब्ल्यूएस शाखा ने इस उत्तर के लिए संबंधित अस्पताल को नहीं भेजा था। (जनवरी 2022)
32.	श्री राममूरत सिंह	मैक्स शालीमार बाग		ईडब्ल्यूएस मरीजों को ठीक से इलाज न मुहैया कराना	रोगी ने दावा किया कि उसे अपने कान का ऑपरेशन कराने की जरूरत है, लेकिन नोडल अधिकारियों के पास कई बार जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए तारीख नहीं दी। शिकायत की तिथि 28.07.2017, ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को शिकायत 10.08.2017 को अग्रेषित की गई। 1661 दिन की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला।
33.	सुश्री डिम्पल जैन	मैक्स शालीमार बाग		ईडब्ल्यूएस मरीजों को ठीक से इलाज न मुहैया कराना	रोगी ने दावा किया कि सरकारी अस्पताल ने उसे हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए मैक्स रेफर किया था, लेकिन कई बार जाने के बाद भी अस्पताल ने ऑपरेशन की तारीख नहीं दी। रोगी की हालत बिगड़ती जा रही थी और तत्काल ऑपरेशन की जरूरत थी। शिकायत की तिथि 13.09.2017, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को अग्रेषित 15.09.2017, 1616 दिन की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला।

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
34.	सुश्री गीता	मैक्स शालीमार बाग		ईडब्ल्यूएस मरीजों को ठीक से इलाज न मुहैया कराना	रोगी के रिश्तेदार ने दावा किया कि उसे आपातकालीन स्थिति में भर्ती करने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर ने रोगी की स्थिति की जांच करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास ईडब्ल्यूएस बिस्तर नहीं है। काफी मिन्नतों के बाद उसे इमरजेंसी में भर्ती किया गया। अगले दिन अस्पताल के कर्मचारियों ने सुबह बताया कि हमारे पास बिस्तर नहीं है और रोगी को यहां से ले जाएं, उस दिन रविवार था और हमने उनसे फिर से अनुरोध किया कि हम अन्य अस्पतालों में भी बिस्तर पाने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल प्राधिकरण से रोगी को इलाज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होने तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। रविवार होने के कारण हमें आसपास के किसी भी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल सका और रोगी कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं था, जैसा कि इलाज कर रहे डॉक्टरों ने हमें बताया था। ठीक से और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण अंततः रोगी की मौत हो गई। शिकायत की तिथि 18.08.2017, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को 15.09.2017 को अग्रेषित की गई। 1626 दिन की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि लेखापरीक्षा अस्पताल ने आपात्कालीन/दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में रोगी को भर्ती करने और इलाज करते समय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया था।
35.	सुश्री अंजू	मैक्स शालीमार बाग	238414	ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज न मुहैया कराना	रोगी के रिश्तेदार ने अपनी शिकायत में दावा किया कि आईपीएच द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रोगी का मुफ्त इलाज नहीं किया गया और इसके द्वारा किए गए इलाज के लिए शुल्क लिया गया। शिकायत की तिथि 26.09.2017, ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को शिकायत 24.10.2017 को अग्रेषित की गई। 1558 दिनों की देरी के बाद भी आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (जनवरी 2022)
36.	श्री धर्मबीर	मैक्स शालीमार बाग	533022	ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज न मुहैया कराना	रोगी का दावा है कि उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। ईडब्ल्यूएस रोगी होने के कारण अस्पताल ने मुफ्त इलाज नहीं किया और उससे शुल्क वसूला। अस्पताल ने कहा कि रोगी बांह में गोली लगने के कारण आपातकालीन स्थिति में आया था और सर्जरी के बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था और उसने मुफ्त इलाज के लिए ईडब्ल्यूएस दस्तावेज नहीं दिखाए थे। अस्पताल का उत्तर सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि वह उस तिथि से बिस्तर अधिभोग पर मौन है। यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत बिस्तर उपलब्ध था, तो उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त उपचार प्रदान करना होगा, भले ही वह उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रवेश के समय दस्तावेज दिखाने में विफल रहा हो।
37.	श्री नारायण प्रसाद	मैक्स शालीमार बाग	350000	ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज न मुहैया कराना	रोगी ने दावा किया कि उसे अस्पताल द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं दिया गया। शिकायत की तिथि 23.02.2018, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को अग्रेषित 26.02.2018, 1462 दिन की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला।
38.	श्री संदीप कुमार	मैक्स शालीमार बाग		ईडब्ल्यूएस मरीजों को उचित तरीके से मुफ्त इलाज न मुहैया कराना	रोगी ने दावा किया कि एक दुर्घटना में घायल हाथ का ऑपरेशन कराने के लिए कई बार जाने के बाद भी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, ऑपरेशन की तारीख न देने के लिए कर्मचारियों द्वारा उसे विभिन्न तरीकों से परेशान किया गया और संबंधित अस्पताल में तैनात संपर्क अधिकारी ने भी मदद नहीं की। जिससे रोगी को समय पर और उचित इलाज मिल सके। शिकायत की तिथि 01.08.2018, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
					को 10.08.2018 को अग्रेषित की गई 1268 दिन की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला।
39.	श्री फैजान अख्तर	वेंकटेश्वर		ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज न देना	रोगी किडनी की बीमारी से पीड़ित है और उसे नियमित अंतराल पर डायलिसिस की जरूरत होती है लेकिन अस्पताल ने 3-4 माह तक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराया और व्यवस्था करने को कहा। एक सप्ताह में तीन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है और प्रति इंजेक्शन की कीमत ₹ 1200/- है। शिकायत की तिथि 22.02.2018, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को 26.02.2018 को अग्रेषित की गई। 1457 दिनों की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (फरवरी 2022)
40.	सुश्री शमा खान	एक्शन केयर		सर्जरी के लिए तारीखें देने में देरी	रोगी ने दावा किया कि वह कैंसर से पीड़ित है और उसका तत्काल ऑपरेशन किया जाए पर अस्पताल ने ऑपरेशन के लिए तारीख नहीं दी। शिकायत की तिथि 11.08.2018, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को 14.08.2018 अग्रेषित की गई 1465 दिन की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला।
41.	श्री देवेन्द्र सिंह	एक्शन केयर		इलाज में देरी	रोगी को पथरी की बीमारी का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल डीडीयू से रेफर किया गया था। अस्पताल ने रोगी से कहा कि जब रोगी को दर्द महसूस होगा तब सर्जरी की जाएगी। वे 2 से अधिक बार गए लेकिन उन्हें कोई इलाज नहीं दिया गया और दिन बीतने के साथ-साथ उनकी बीमारी बढ़ती गई। शिकायत की तिथि 22.12.2017, ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को शिकायत 24.01.2018 को अग्रेषित की गई। 1465 दिनों की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (जनवरी 2022)
42.	सुश्री मालती	मैक्स साकेत		मुफ्त दवा नहीं दे रहे	रोगी ने दावा किया कि अस्पताल ने दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई और रोगी को अपनी कीमत पर बाहर से खरीदने के लिए कहा। शिकायत की तिथि 30.09.2019, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को 25.10.2019 को अग्रेषित की गई। 822 दिनों की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (जनवरी 2022)
43.	सुश्री सुनीता वर्मा	मैक्स साकेत		इलाज करने से इंकार	रोगी बीमारी से पीड़ित था और उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी और हालत बहुत गंभीर थी। अस्पताल ने रोगी को भर्ती करने से इनकार कर दिया और कहीं और जाने को कहा। शिकायत की तिथि 02.06.2021 थी। शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को 07.06.2021 को अग्रेषित की गई, 238 दिनों की देरी के बाद भी आज तक आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (जनवरी 2022)
44.	सुश्री उमा रानी	सेंट स्टीफन	8,52,659	मुफ्त इलाज करने से इनकार	रोगी ने दावा किया कि उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, ईडब्ल्यूएस होने और मिन्नत करने पर भी कोई मुफ्त इलाज नहीं दिया गया। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी ने भुगतान श्रेणी के तहत इलाज की मांग की और प्राधिकरण को अपनी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बारे में कभी सूचित नहीं किया। लेखापरीक्षा का विचार है कि अगर रोगी को आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया था तो आईपीएच ने रोगी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा और ना ही संबंधित सरकारी अस्पताल को सूचित किया, जिसके बदले में 48 घंटों के भीतर पात्रता मानदंडों को सत्यापित करना था , प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस दस्तावेज दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। संबंधित

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
					सरकारी अस्पताल उसके प्रवेश के 48 घंटे के भीतर पात्रता मानदंड की जांच करेगा। लेकिन इस मामले में आईपीएच के साथ-साथ आईजीएच द्वारा भी इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
45.	सुश्री पूजा	सेंट स्टीफन		मुफ्त इलाज करने से इनकार	हालत गंभीर होने के कारण रोगी को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था. अस्पताल प्रशासन ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रोगी का इलाज करने से इनकार कर दिया और उससे फीस वसूल की। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी ने प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस दस्तावेज नहीं दिखाया था। अस्पताल का उत्तर सत्य नहीं है क्योंकि रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का है। यदि प्रवेश के समय बिस्तर उपलब्ध था तो रोगी पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त और भुगतान वाले रोगी के लिए समान है।
46.	सुश्री पारो	सेंट स्टीफन		मुफ्त इलाज करने से इनकार	रोगी ने दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान उसे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं दी गई। शिकायत की तिथि 06.03.2020, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच 12.03.2020 को अग्रेषित की गई। 324 दिनों की देरी के बाद भी आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (जनवरी 2022)
47.	सुश्री हमज़ा	सेंट स्टीफन		मुफ्त इलाज करने से इनकार	रोगी ने दावा किया कि उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिला। शिकायत की तिथि 02.04.2021, ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को शिकायत 15.04.2021 को अग्रेषित की गई, 291 दिनों की देरी के बाद भी आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (जनवरी 2022)
48.	श्री मदन लाल	जयपुर गोल्डन	849307	मरीज़ को मुफ़्त इलाज देने से इंकार करना और उससे शुल्क लेना	रोगी के रिश्तेदार ने दावा किया कि उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, बाद में आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया, ईडब्ल्यूएस रोगी होने के बाद भी अस्पताल ने मुफ्त इलाज नहीं दिया और आपातकाल के दौरान प्रदान किए गए उपचार के लिए शुल्क लिया। इलाज के दौरान रोगी को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दबाव बनाकर परेशान किया गया और आवश्यक राशि जमा नहीं करने पर दवाई बंद करने और आईसीयू से शिफ्ट करने की धमकी दी गयी. इलाज के दौरान रोगी की मौत हो गयी। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी ने इलाज के दौरान ईडब्ल्यूएस स्थिति का खुलासा नहीं किया था। उत्तर सत्य नहीं है क्योंकि रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का था।
49.	सुश्री शांति देवी	गोल्डन जयपुर		समुचित इलाज व भर्ती न करना	रोगी के रिश्तेदार ने दावा किया कि वह अस्पताल गए और रोगी को आपातकालीन वार्ड में भर्ती करने के लिए कहा, क्योंकि हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई ईडब्ल्यूएस बिस्तर उपलब्ध नहीं था। बाद में वे हालत गंभीर होने के कारण दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल गए और उसी दिन रोगी की मृत्यु हो गई। शिकायत की तिथि 10.06.2019, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को 20.06.2019 को अग्रेषित की गई। 955 दिन की देरी के बाद भी आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला।
50.	श्री जितेन्द्र कुमार	धर्मशिला		मुफ्त इलाज करने से इनकार	रोगी ने दावा किया कि वह कैंसर से पीड़ित है और अस्पताल ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं दिया और नकद श्रेणी के तहत इलाज करने को कहा। शिकायत की तिथि 05.03.2020, शिकायत ईडब्ल्यूएस

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
					द्वारा आईपीएच को 24.03.2020 अग्रेषित की गई। 677 दिनों की देरी के बाद भी आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला। (जनवरी 2022)।
51.	श्री सुरेंद्र सिंह	धर्मशिला		मुफ्त इलाज करने से इनकार	रोगी किडनी की बीमारी से पीड़ित था और उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अस्पताल से मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा था, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा 16.12.2019 को आईपीएच को भेज दी गई। 776 दिन बाद भी आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला (जनवरी 2022)
52.	सुश्री कांती	धर्मशिला		मुफ्त इलाज करने से इनकार	रोगी ने दावा किया कि वह कई बार अस्पताल गया लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज देने से इनकार कर दिया। अस्पताल ने उत्तर दिया कि हमें इस रोगी के बारे में जानकारी नहीं है।
53.	सुश्री नूर खान	धर्मशिला		मुफ्त इलाज नहीं दे रहे	रोगी कैंसर से पीड़ित था और अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, रोगी को सर्जरी की आवश्यकता थी और अस्पताल ने सर्जरी के लिए 200000 की मांग की और कहा कि उपचार जारी रहेगा अन्यथा कहीं और अस्पताल में इलाज किया जाएगा। अस्पताल ने कहा कि रोगी को प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता थी जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए रोगी को दूसरे अस्पताल जाने का सुझाव दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार संबंधित आईपीएच में उपलब्ध नहीं है, यह अन्य अस्पतालों की जांच करेगा जहां सुविधा उपलब्ध है, रोगी को संबंधित डॉक्टरों के परामर्श के बाद ऐसे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
54.	श्री शिवकुमार वर्मा	अग्रसेन, द्वारका	45469	मरीज़ को मुफ़्त इलाज देने से इंकार करना और उससे शुल्क लेना	शिकायत की तिथि 09.09.2019, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को अग्रेषित 19.09.2019। 864 दिन की देरी के बाद भी आईपीएच से कोई उत्तर नहीं मिला।
55.	सुश्री मंशा	धर्मशिला		मुफ्त इलाज करने से इनकार	शिकायत की तिथि 16.09.2021, शिकायत ईडब्ल्यूएस द्वारा आईपीएच को 02.07.2021 को अग्रेषित की गई। आईपीएच से आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने कहा कि अस्पताल ने कैंसर रोगी को भर्ती करने से इनकार कर दिया था, बाद में रोगी को गंभीर हालत में आपातकालीन स्थिति में एम्स में स्थानांतरित कर दिया गया था।
56.	प्रियांशी	गंगा राम		ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत इलाज नहीं मिल रहा है	रोगी ने कहा कि वह घुटने की समस्या से पीड़ित थी और उसे तत्काल ऑपरेशन की जरूरत थी तथा चलने में दर्द महसूस होता था। शिकायत 22.09.2017 को अस्पताल को भेज दी गई थी लेकिन 1591 दिनों की देरी के बाद भी उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। (जनवरी 2022)
57.	सलमान	गंगा राम	6,00,000	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है	रोगी ने दावा किया कि उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसके पैर में चोट लगी थी और भर्ती के समय बहुत खून बह रहा था। अस्पताल प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उनके द्वारा प्रदान किए गए उपचार का शुल्क लिया था। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी को शुल्क श्रेणी के तहत भर्ती कराया गया था और रोगी ने भर्ती के समय ईडब्ल्यूएस दस्तावेज नहीं दिखाए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, यदि बिस्तर उपलब्ध है और रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित है, यहां तक कि वह प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस दस्तावेज दिखाने में

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
					विफल रहा, तो वह उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदान किए गए उपचार के लिए उससे कोई शुल्क नहीं लेगा।
58.	झिलमिल	गंगा राम	3,80,000	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है	हिंदू राव और कलावती अस्पताल द्वारा रेफर किए जाने के बाद बच्चे (1 माह) को आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था क्योंकि कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं था। रिश्तेदार ने दावा किया कि अस्पताल प्रशासन रोगी को छुट्टी देने के लिए 3,74,000 रुपये की मांग कर रहा है। राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण अस्पताल के अधिकारियों ने रोगी को परेशान किया और उन्हें धमकी दी। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी को भुगतान श्रेणी के तहत भर्ती कराया गया था और प्रवेश के समय ईडब्ल्यूएस दस्तावेज नहीं दिखाए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 02 अस्पतालों में बेड नहीं मिलने पर रोगी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था।
59.	प्रेम कुमार सहित 72 रोगी	गंगा राम		ईडब्ल्यूएस रोगी के साथ उत्पीड़न, भेदभाव, दुर्व्यवहार और दवा न देना	इस अस्पताल के खिलाफ क्षेत्र के एक विधायक सहित 74 मरीजों द्वारा उत्पीड़न, भेदभाव, दुर्व्यवहार और मुफ्त दवा प्रदान नहीं करने के बारे में एक संयुक्त शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडब्ल्यूएस पंजीकरण और ओपीडी ठीक से काम नहीं कर रहे थे और फार्मेसी के लिए समय भी कम कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत से रोगी उसी दिन डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवा प्राप्त करने में विफल रहे। मरीजों को ओपीडी परामर्श और दवा लेने के लिए कई बार जाना पड़ता है। अस्पताल प्राधिकरण ने मरीजों को होने वाली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और मरीजों को इलाज के दौरान विभिन्न प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अस्पताल द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपचार के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। डीजीएचएस ने रोगियों द्वारा बताई गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए कोई जांच शुरू नहीं की थी और सेवा में सुधार के लिए अस्पताल को कोई दिशा/निर्देश जारी नहीं किए गए थे और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया था ताकि ईडब्ल्यूएस रोगियों को स्वास्थ्य प्राप्त करने के समय परेशान न किया जा सके।
60.	अनिल कुमार	गंगा राम		इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं	रोगी ने दावा किया कि वह आपातकालीन स्थिति में अस्पताल आया था, लेकिन अस्पताल प्राधिकारी ने बिस्तर अधिभोग विवरण दिए बिना यह दावा करते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया कि बिस्तर उपलब्ध नहीं था। शिकायत 04.11.2020 को दर्ज की गई थी लेकिन 453 दिनों की देरी (जनवरी 2022) के बाद भी उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
61.	जसबीर	शांति मुकुंद	95,618	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज करने से इनकार	रोगी ने दावा किया कि वह किडनी रोग से पीड़ित है और अस्पताल में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराया गया और डायलिसिस सुविधा प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने को कहा, जिसके बाद वह आपातकालीन स्थिति में इस अस्पताल में गया और अस्पताल प्राधिकारी ने रोगी को बिस्तर उपलब्ध नहीं होने के कारण ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उपचार प्रदान करने से मना कर दिया। इसलिए शुल्क श्रेणी में भर्ती किया गया क्योंकि रोगी की हालत बहुत तेजी से बिगड़ी रही थी। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी को कैजुअल्टी में भर्ती किया गया था, रोगी ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत इलाज की मांग नहीं की थी।

क्र. सं.	उपचारित ईडब्ल्यूएस रोगी का नाम	आईपीएच का नाम	मरीज़ द्वारा भुगतान की गई राशि (₹)	मामला	टिप्पणियां
					उत्तर सही नहीं है क्योंकि रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का था और उसका इलाज ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत किया जाना चाहिए था।
62.	राज कुमार	शांति मुकुंद	12689	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रोगी का इलाज करने से इनकार करना	रोगी ने कहा कि अस्पताल ने उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज से इनकार कर दिया। अन्य ईडब्ल्यूएस मरीज़ भी इसी समस्या से पीड़ित थे। अस्पताल ने उत्तर दिया कि बीपीएल कार्ड संबंधित प्राधिकारी द्वारा तथ्यों की पुष्टि किए बिना जारी किया गया था क्योंकि रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते थे।
63.	सुश्री मीरा	शांति मुकुंद	890	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रोगी का इलाज करने से इनकार करना	रोगी पथरी की समस्या से पीड़ित था और उसे उम्मीद थी कि उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा लेकिन प्राधिकरण ने मुफ्त इलाज से इनकार कर दिया। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी ने भुगतान श्रेणी के तहत इलाज का विकल्प चुना और ईडब्ल्यूएस दस्तावेज नहीं दिखाए। उत्तर सही नहीं है क्योंकि रोगी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के थे और उपचार मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए था।
64.	मनोहर लाल	शांति मुकुंद	2,60,000	ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत रोगी का इलाज करने से इनकार करना	रोगी के रिश्तेदार ने दावा किया कि मैक्स शांति मुकुंद ने इलाज से इनकार कर दिया था, लेकिन कोसमोस अस्पताल ने आपातकालीन स्थिति में भर्ती कर लिया, जिसके लिए उन्होंने शुल्क लिया, बाद में रोगी की मृत्यु हो गई। अस्पताल प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि रोगी अस्पताल नहीं आया था।
65.	सुश्री हजरा	शांति मुकुंद		मुफ़्त दवाएँ नहीं दी गईं	काफी प्रयास करने के बाद रोगी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इलाज के दौरान मुफ्त दवा और इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराए। अस्पताल ने उत्तर दिया कि रोगी ने दवा खरीदते समय न तो आपत्ति जताई और न ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी का उल्लेख किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रोगी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत भर्ती किया गया था और उसका इलाज किया जा रहा था
66.	सुश्री विद्या देवी	शांति मुकुंद		मुफ़्त दवाएँ और नैदानिक जाँचें प्रदान नहीं की गईं	रोगी ने शिकायत की कि अस्पताल ने मुफ्त दवा और नैदानिक जांच प्रदान नहीं की।
67.	श्री विजय कुमार	शांति मुकुंद		अस्पताल द्वारा उत्पीड़न	रोगी ने दावा किया कि इमरजेंसी में इलाज के दौरान उसे परेशान किया गया और अस्पताल ने मुफ्त इलाज से इनकार कर दिया। अस्पताल ने उत्तर दिया कि इलाज के दौरान रोगी को परेशान नहीं किया गया।

अनुलग्नक VIII
(पैराग्राफ 11.5.4 में संदर्भित)
एसएचएमसी में आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता

क्र.सं.	दवा का नाम	अनुपलब्धता अवधि	कुल अनुपलब्धता
1.	काली म्यूरिएटिकम बायोकेमिक 6x	12.12.2018-04.02.2019 (23 दिन) 22.08.2019-17.11.2019(47 दिन) 18.02.2020-04.01.2021(10 माह 7 दिन) 11.10.2022- 03.04.2023(4 माह 23 दिन)	17 माह 10 दिन
2.	मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम बायोकेमिक 6x	26.09.2016-24.11.2016 (1 माह 29 दिन) 11.12.2016-29.12.2016 (19 दिन) 17.05.2017-23.08.2017 (2 माह 36 दिन) 14.10.2017-23.01.2018(1 माह 39 दिन) 29.11.2018-04.02.2019 (2 माह 6 दिन) 07.09.2019-17.11.2019 (1 माह 40 दिन) 12.02.2020-04.01.2021 (10 माह 23 दिन) 21.09.2021-10.10.2021 (20 दिन)	24 माह 2 दिन
3.	औरम मुर. नेट. 3x ट्रिट्यूरेशन	20.11.2005-23.08.2017 (140 माह 34 दिन) 30.08.2017-24.08.2018 (11 माह 26 दिन) 07.09.2018-10.03.2019 (5 माह 34 दिन) 15.09.2020-05.08.2021 (10 माह 21 दिन) 18.03.2022- 03.04.2023 (11 माह 6 दिन)	173 माह 1 दिन
4.	ओवा टोस्टा 3x ट्रिट्यूरेशन	27.12.2011-23.08.2017 (67 माह 28 दिन) 20.09.2019-30.12.2020 (14 माह 41 दिन)	83 महीना 9 दिन
5.	अर्निका मोंटाना मरहम	26.09.2016-09.01.2017 (3 माह 14 दिन) 24.08.2017-23.01.2018 (4 माह 29 दिन) 01.02.2018-25.02.2018 (25 दिन) 15.08.2018-12.10.2018 (1 माह 28 दिन)	11 माह 3 दिन
6.	कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस मरहम	26.09.2016-14.11.2016 (1 माह 19 दिन) 13.11.2016-09.01.2017 (1 माह 27 दिन) 24.08.2017-23.01.2018 (4 माह 29 दिन) 01.02.2018-25.02.2018 (25 दिन)	9 माह 10 दिन
7.	कैंथारिस मरहम	06.02.2016-14.11.2016 (9 माह 9 दिन) 13.11.2016-09.01.2017 (1 माह 27 दिन) 22.07.2017-25.02.2018 (7 माह 3 दिन)	18 माह 9 दिन
8.	रुस टॉक्सिकोडेंड्रोन मरहम	26.09.2016-14.11.2016 (1 माह 19 दिन) 24.08.2017-23.01.2018 (4 माह 29 दिन) 01.02.2018-25.02.2018 (25 दिन) 29.07.2018-12.10.2018 (2 माह 15 दिन) 04.07.2019-19.11.2019 (4 माह 17 दिन)	14 माह 15 दिन
9.	सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप्स	24.08.2017-23.01.2018 (4 माह 29 दिन) 01.02.2018-25.02.2018 (25 दिन)	5 माह 24 दिन
10.	यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स	20.12.2016-23.08.2017 (8 माह 4 दिन) 26.10.2017-23.01.2018 (2 माह 28 दिन) 01.02.2018-25.02.2018 (25 दिन) 17.07.2018-12.10.2018 (2 माह 27 दिन) 22.09.2019-22.11.2019 (2 माह 1 दिन)	16 माह 25 दिन
11.	मुलीन कान का तेल	08.03.2016-23.08.2017 (17 माह 6 दिन) 20.01.2018-23.01.2018 (4 दिन) 01.02.2018-12.10.2018 (8 माह 12 दिन)	35 माह 7 दिन

क्र.सं.	दवा का नाम	अनुपलब्धता अवधि	कुल अनुपलब्धता
		15.09.2018-20.02.2019 (5 माह 6 दिन) 04.07.2019-13.11.2019 (4 माह 9 दिन)	
12.	अल्फाल्फा मदर टिंचर (इंटरनल)	16.10.2020-30.12.2020 (2 माह 10 दिन)	2 माह 10 दिन
13.	एलियम सैटिवा मदर टिंचर (इंटरनल)	21.10.2014-17.01.2017 (26 माह 28 दिन)	26 माह 28 दिन
14.	अरलिया आरएसी मदर टिंचर (इंटरनल)	20.12.2016-23.08.2017 (8 माह 4 दिन) 08.06.2022- 03.04.2023 (9 माह 19 दिन)	17 माह 23 दिन
15.	अर्निका मोंटाना मदर टिंचर (इंटरनल)	25.02.2018 तक दवा स्टॉक में उपलब्ध नहीं थी।	
16.	एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर (इंटरनल)	22.06.2021-03.02.2022 (7 माह 13 दिन)	7 माह 13 दिन
17.	बर्बेरिस वल्गारिस मदर टिंचर (इंटरनल)	29.06.2016-14.11.2016 (4 माह 16 दिन) 29.11.2017-23.01.2018 (1 माह 26 दिन) 07.09.2019-17.11.2019 (2 माह 11 दिन)	8 महीना 23 दिन
18.	ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर (इंटरनल)	26.09.2016-14.11.2016 (4 माह 13 दिन) 31.12.2016-17.01.2017 (18 दिन)	5 माह 1 दिन
19.	कैंथारिस मदर टिंचर (इंटरनल)	31.01.2016-25.02.2018 (1 माह 26 दिन) 14.07.2019-13.11.2019 (3 माह 29 दिन)	5 माह 25 दिन
20.	कार्डुअस मैरिएनस मदर टिंचर (इंटरनल)	21.10.2014-08.07.2016 (20 माह 19 दिन)	20 माह 19 दिन
21.	सेफलैंड्रा इंडिका मदर टिंचर (इंटरनल)	06.02.2016-17.01.2017(11 माह 11 दिन) 17.10.2017-06.02.2018 (3 माह 20 दिन) 07.09.2019-17.11.2019 (2 माह 10 दिन) 03.11.2020-30.12.2020 (1 माह 27 दिन) 20.02.2021-19.04.2021 (2 माह) 19.10.2021-03.02.2022 (3 माह 16 दिन) 16.07.2022- 03.04.2023 (8 माह 18 दिन)	33 माह 12 दिन
22.	चेलिडोनियम माजस मदर टिंचर (इंटरनल)	14.09.2017-23.01.2018 (4 माह 10 दिन) 01.02.2018-25.02.2018 (25 दिन) 20.09.2019-04.01.2021 (15 माह 15 दिन) 20.02.2021-20.05.2021 (4 माह) 19.10.2021- 03.04.2023 (18 माह 16 दिन)	43 महीना 6 दिन
23.	क्रैटैगस ऑक्सी. मदर टिंचर (इंटरनल)	06.02.2016-14.11.2016 (9 माह 8 दिन) 31.12.2017-06.02.2018 (1 माह 7 दिन)	10 माह 15 दिन
24.	ग्रिंडेलिया आर. मदर टिंचर (इंटरनल)	06.02.2016-14.11.2016 (11 माह 8 दिन) 11.12.2016-17.01.2017 (1 माह 8 दिन) 26.10.2017-23.01.2018 (2 माह 29 दिन) 30.11.2018-23.06.2019 (5 माह 24 दिन) 04.07.2019-13.11.2019 (4 माह 10 दिन) 21.11.2019-04.01.2021(13 माह 14 दिन)	39 महीना 3 दिन
25.	हाइड्रैस्टिस कैनाडेंसिस मदर टिंचर (इंटरनल)	16.11.2012-17.01.2017 (50 माह 1 दिन)	50 माह 1 दिन
26.	जानोसिया अशोका मदर टिंचर (इंटरनल)	22.06.2017-06.02.2018 (7 माह 14 दिन)	7 माह 14 दिन
27.	पैसीफ्लोरा इन्कार्नाटा मदर टिंचर (इंटरनल)	26.09.2016-17.01.2017 (3 माह 22 दिन)	3 महीना 22 दिन
28.	राउवोल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर (इंटरनल)	26.10.2017-23.01.2018 (2 माह 28 दिन) 15.08.2018-12.10.2018 (1 माह 28 दिन) 07.09.2018-20.02.2019 (5 माह 14 दिन) 22.08.2019-18.11.2019 (2 माह 27 दिन) 30.01.2020-30.12.2020 (11 माह)	24 माह 7 दिन
29.	सबल सेरुलता मदर टिंचर (इंटरनल)	29.11.2017-25.02.2018 (2 माह 27 दिन) 10.11.2019-19.04.2021 (17 माह 10 दिन) 14.05.2021-27.07.2021 (2 माह 14 दिन) 05.08.2022- 03.04.2023 (7 माह 29 दिन)	30 माह 20 दिन
30.	साईजेजियम जम्बोलेनम मदर टिंचर (इंटरनल)	16.07.2022- 03.04.2023 (8 माह 19 दिन)	8 महीना 19 दिन

क्र.सं.	दवा का नाम	अनुपलब्धता अवधि	कुल अनुपलब्धता
31.	कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस मदर टिंचर (बाह्य)	02.08.2017-17.11.2019 (27 माह 15 दिन) 25.01.2020-19.01.2021 (11 माह 26 दिन)	39 महीना 11 दिन
32.	थ्यूया ऑक्सिडेंटलिस मदर टिंचर (बाह्य)	17.07.2018- 03.04.2023 (56 माह 17 दिन)	56 माह 17 दिन
33.	क्रियोसोट मदर टिंचर (बाह्य)	13.11.2019 तक दवा स्टॉक में उपलब्ध नहीं थी।	
34.	प्लांटैगो मदर टिंचर (बाह्य)	17.11.2019 तक दवा स्टॉक में उपलब्ध नहीं थी।	
35.	एसिड फॉस्फोरिकम	18.01.2017-25.02.2018 (13 माह 8 दिन)	13 महीना 8 दिन
36.	डिजिटलिस प्री.	17.11.2015-18.01.2017 (14 माह 2 दिन) 02.08.2017-12.10.2018 (2 माह 11 दिन)	16 महीना 13 दिन
37.	नेट्रम म्यूर	31.12.2017-12.10.2018 (9 माह 13 दिन)	9 माह 13 दिन

अनुलग्नक IX

(पैराग्राफ 11.5.5 में संदर्भित)

तिब्बिया अस्पताल में थोक में खरीदी एवं खुली वितरित दवाओं की सूची

यूनानी		आयुर्वेदिक	
औषधि का नाम	**मात्रा (कि.ग्रा.)**	**औषधि का नाम**	**मात्रा(किग्रा.)**
सुबूस -ए- इसाफ़गोल	10	गिलोय	70
गुल -ए- तिसु	15	अश्वगंधा	30
मको -ए- खुश्क	10	शतावरी	30
तुख्म- ए- कासनी	15	सारिवा	7
तुख्म -ए- कसुस	8	बाला	25
चरैता	10	गोक्षरू	35
मुंडी	15	हरीतकी	50
ख़ार -ए- ख़ास्क	15	भिभीतकी	50
तुख़्म -ए- ख़यारैन	5	अमलाकी	50
तुख़्म -ए- ख़रपज़ा	5	सौंठ	20
जंजाबील	15	मारीच	10
रेवेंड चीनी	10	पिप्पली	10
असगंध	15	विदांगा	5
दारचीनी	10	नागरमोथा	20
मग़ज़ -ए- भेलगिरी	20	कंटकारी	20
सनमक्की	12	अतिविशा	8
उस्तोखुदुस	12	कटुकी	5
किशनीज़ -ए- ख़ुश्क	12	कर्कटश्रंगी	8
फिलफ़ाइल-सियाह	5	अर्जुन छाल	30
असरोल	6	शिग्रु	20
बर्ग -ए- अदुसा	12	दशमूल	10
मोचरस	10	लोधरा	50
संग-ए- जराहत	7		
सतावर	15		
मूसली सफेद	10		
गुलेज़ोफ़ा	10		
अमला ख़ुश्क	20		